


३५.०७-२३

पत्रावली वैश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। वकील शर्मा को बार-बार अपसर देने के उपरान्त भी शर्मा वकील द्वारा अधीनस्थ की तलबी नहीं करवाई गई है। अतः शर्मा का प्रार्थना पत्र तलबी के अभाव में इसी स्तर पर खाजि किया जाता है पत्रावली बाद तरीके तकमील होकर शारिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर तुले आपालप में मुनापा गया।

  
(अमिता विशनोई)  
RAS